

2025/839

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
रजीराम बलवन्त आदि

मुकदमा किस्म रास्ता स्वीकृति 251क आरटीएक्ट एवं 151 सीपीसी प्रकरण संख्या 94 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.10.2025	<p>प्रार्थी रजीराम की तरफ से वकील श्री अनिल शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रास्ता स्वीकृति 251क आरटीएक्ट एवं 151 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 9 केएम के प.नं. 207/404(2) कि.नं. 12/2 की 0.051 है., 19/1 की 0.025 है., 22/1 की 0.025 है. भूमि में चालु रास्ता को बन्द करने से निषेद्ध रहें। उक्त निषेधाज्ञा खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में पेश करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 28.11.2025 को पेश हो।</p>	
28.11.2025	<p>वकील प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 9 केएम के प.नं. 207/404(2) कि.नं. 12/2 की 0.051 है., 19/1 की 0.025 है., 22/1 की 0.025 है. भूमि में चालु रास्ता को बन्द करने से निषेद्ध रहें। उक्त निषेधाज्ञा खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में पेश करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 28.11.2025 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	
29.1.25	<p>वकील प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 9 केएम के प.नं. 207/404(2) कि.नं. 12/2 की 0.051 है., 19/1 की 0.025 है., 22/1 की 0.025 है. भूमि में चालु रास्ता को बन्द करने से निषेद्ध रहें। उक्त निषेधाज्ञा खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में पेश करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 28.11.2025 को पेश हो।</p>	
9.4.2026	<p>पत्रावली के माध्यम से वकील प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 9 केएम के प.नं. 207/404(2) कि.नं. 12/2 की 0.051 है., 19/1 की 0.025 है., 22/1 की 0.025 है. भूमि में चालु रास्ता को बन्द करने से निषेद्ध रहें। उक्त निषेधाज्ञा खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में पेश करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 28.11.2025 को पेश हो।</p>	<p>Not Press</p> 